

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 89
TO BE ANSWERED ON 29.01.2026**

MINIMUM MONTHLY PENSION

89. DR. MEDHA VISHRAM KULKARNI:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

- (a) whether Government is aware of ongoing demands from lakhs of EPS-95 pensioners in Maharashtra for increasing the minimum monthly pension from ₹ 1,000 to ₹ 7,500, citing inadequacy amid rising inflation;**
- (b) if so, the details of representations received from Maharashtra-based employee unions and pensioners' associations in this regard during 2025, along with the action taken thereon;**
- (c) whether any actuarial study or fund viability assessment has been conducted specifically for Maharashtra pensioners under EPS-95; and**
- (d) the timeline proposed for revising the minimum pension under EPS-95, including measures to ensure financial sustainability of the scheme?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SUSHRI SHOBHA KARANDLAJE)**

(a) to (d): Employees' Pension Scheme, 1995 is a 'Defined Contribution-Defined Benefit' social security scheme. The corpus of the Employees' Pension Fund is made up of (i) contribution by the employer @ 8.33 per cent of wages; and (ii) 1.16% contribution from Central Government on wages upto Rs.15,000/- per month. All benefits under the scheme are paid out of this Fund.

The Government is providing a minimum pension of Rs.1000 per month to the pensioners under the EPS, 1995 through budgetary support, which is in addition to the budgetary support of 1.16 per cent of wages towards EPS to Employees' Provident Fund Organization (EPFO).

Contd..2/-

:: 2 ::

The fund is valued annually as mandated under paragraph 32 of EPS, 1995. The objective of the valuation is to determine the long-term viability of the fund given the expected stream of money inflows from contributions, etc. and the outflows in terms of benefits.

The Government of India is committed to provide robust social security coverage through EPF Scheme, 1952, EPS-95 and EDLI Schemes being run by EPFO, to the members of these schemes, taking into consideration the sustainability of the respective funds as well as the future liabilities thereon.

Representations have been received from various stakeholders including trade unions and public representatives to increase the minimum pension under the Employees' Pension Scheme (EPS), 1995 from the existing Rs. 1,000/- per month.

There is no separate state wise fund for pensioners under EPS-95.

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 89
गुरुवार, 29 जनवरी, 2026/9 माघ, 1947 (शक)

न्यूनतम मासिक पेंशन

89. डा. मेधा विश्वाम कुलकर्णी :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में कर्मचारी पेंशन योजना-1995 (ईपीएस-95) के लाखों पेंशनभोगियों की ओर से बढ़ती महंगाई के दौर में अपर्याप्तता का हवाला देते हुए न्यूनतम मासिक पेंशन को ₹1,000 से बढ़ाकर ₹7,500 करने हेतु की जा रही मांगों की जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो वर्ष 2025 के दौरान इस संबंध में महाराष्ट्र स्थित कर्मचारी यूनियनों एवं पेंशनभोगी संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों का व्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है;
- (ग) क्या ईपीएस-95 के अंतर्गत विशेष रूप से महाराष्ट्र के पेंशनभोगियों के लिए कोई बीमांकिक अध्ययन अथवा निधि की व्यवहार्यता का आकलन किया गया है; और
- (घ) ईपीएस-95 योजना की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के उपायों सहित इस योजना के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन के पुनरीक्षण हेतु प्रस्तावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 एक “परिभ्राषित अंशदान-परिभ्राषित लाभ” सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कोष (i) नियोक्ता द्वारा दिया गया अंशदान वेतन का 8.33 प्रतिशत और (ii) केंद्र सरकार द्वारा दिया गया अंशदान; वेतन का 1.16 प्रतिशत जो अधिकतम 1500/- रु. प्रतिमाह तक की वेतन सीमा पर लागू होता है। इस योजना के अंतर्गत सभी लाभों का भुगतान ऐसी निधि से किया जाता है।

सरकार पेंशनभोगियों को ईपीएस, 1995 के अंतर्गत 1000 रु. प्रतिमाह न्यूनतम मासिक पेंशन प्रदान कर रही है, जिसे बजटीय सहायता द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) को प्रति वर्ष ईपीएस के तहत वेतन के 1.16 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाने वाली बजटीय सहायता के अतिरिक्त है।

ईपीएस, 1995 के पैराग्राफ 32 के अंतर्गत अनिवार्य रूप से निधि का मूल्यांकन वार्षिक रूप से किया जाता है। मूल्यांकन का उद्देश्य निधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का निर्धारण करना है, जिसमें अंशदान आदि से होने वाली धनराशि की प्राप्ति और लाभ के रूप में होने वाले भुगतान को देखते हुए निधि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता का आकलन करना है।

जारी..2/-

भारत सरकार संबंधित निधियों की स्थिरता के साथ-साथ भविष्य की देनदारियों को ध्यान में रखते हुए ईपीएफओ द्वारा संचालित की जा रही ईपीएफ योजना, 1952, ईपीएस-95 और ईडीएलआई योजनाओं के माध्यम से, इन योजनाओं के सदस्यों को ठोस सामाजिक सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाने के लिए ट्रेड यूनियनों और जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

ईपीएस-95 के अंतर्गत पेंशनभोगियों के लिए अलग से कोई राज्यवार निधि नहीं है।
